

# नायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, चौहटन

अप्रार्थी सरकारी जरिये पटवारी हल्का..... बनाम

रमना अजीज

दिप्रार्थी श्री.....

एवु मारु

यल्द.....

अह ली २५

जाति..... निवासी.....

मा

२१०१८८

राजस्व मुकद्दमा नं. १८७/२५...../२०..... निर्णय दिनांक.....

२११०/२५

अन्तर्गत धारा ९१ भू-राजस्व अधिनियम १९५६

## आदेश

यह मामला पटवारी हल्का..... की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

रमना अजीज

जिसके अनुसार अप्रार्थी ने सरकारी भूमि मौजा..... के ख. नं. १०६/८८६ में रकबा

रमना अजीज

..... बीघा किस्म..... पर संवत् २०२१ खरीफ में काष्ठ कब्जा पर अतिक्रमण किया है।

५००

नदी

२०२१

अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्रार्थी से तामिल हो

चुका हैं अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित।

अप्रार्थी ने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा कास्त करना स्वीकार किया/बावजूद नोटिस

तामिल के अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः अप्रार्थी को

विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त

सरकार किया जाकर अप्रार्थी पर बतौर लगान / शास्ति के भूमि के वार्षिकलगान रूपये ०-०१२

का ५० गुणा रूपये ६ अक्षरे ६०१ अ. आरोपित किये जाते हैं।

भू.अ. निरीक्षक हल्का.....

रमना अजीज

को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर / मौके पर खड़ी फसल को नीलाम कर फर्द नीलामी स्वीकृत

हेतु प्रस्तुत करे। पालना रिपोर्ट ३ दिन में पेश करें। जुर्माना / फसल नीलामी की वसूली हेतु पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व

लेखाकार सूचित हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक.....को

२११०/२५

सरे आम लिख कर सुनाया गया।

तहसीलदार, चौहटन

तहसीलदार, चौहटन